संचिका सं0–07/बजट–46–02/2022 – 381(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–07/08/2026

विषय:– राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603,68,00,000/–(रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 91,00,00,000/–(रुपये इक्यानवे करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा इस योजना अर्थात् लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सुपौल में 150 नामांकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रु० 603,68,00,000/–(रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–108(7), दिनांक–11.07.2022 के द्वारा दी गयी है।

2– Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक–29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रु० 91.00 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या–No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक–29.07.2026. के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तद्क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 91.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0 एवं दिनांक
1	2023–24	5,00,00,000	सं0–195(7), दिनाक–28.08 2023
2	2023–24	20,00,00,000	सं0–641(7), दिनाक–14.03 2023
3	2024–25	1,50,00,000	स0–80(7), दिनाक–25.06.2024
4	2024–25	25,00,00,000	स0–131(7), दिनाक–16.08 2024
5	2024–25	25,00,00,000	स0–151(7), दिनाक–29.08 2024
6	2024–25	42,66,00,000	स0–306(7), दिनाक–23 12.2024
7	2024–25	5,00,00,000	सं0–495(7), दिनाक–10 03 2025
8	2024–25	27,34,00,000	स0–539(7), दिनाक–20.03.2025
9	2024–25	60,00,00,000	स0–590(7), दिनाक–28 03 2025
10	2025–26	10,00,00,000	स0–275(7), दिनाक–02 09 2025
11	2025–26	10,00,00,000	स0–350(7), दिनाक–06 10.2025
12	2025–26	7,00,00,000	स0–442(7), दिनाक–12 12 2025
13	2025–26	25,00,00,000	सं0–87(7A), दिनाक–17.02 2026
14	2025–26	15,00,00,000	स0–109(7A), दिनाक–11.03.2026
15	2026–27	10,00,00,000	स0–194(7A), दिनांक–09 06 2026
	कुल–	**2,88,50,00,000**	

4— राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603,68,00,000/—(रुपये छ. सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026—27 मे भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026—27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 91,00,00,000/—(रुपये इक्यानवे करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5— कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0—108(7), दिनांक—11.07.2022 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6— इस राशि के व्यय का वहन माँग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 051 निर्माण—0101—नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड— 20—4210030510101, विषय शीर्ष—53—01—मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7— राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8— वित्त विभागीय पत्र सख्या—632/वि०, दिनांक—04.07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या—10792/वि०, दिनांक—06 12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूजीगत परियोजनाओं से संबधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-844800110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक—910/वि0, दिनांक—30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9— वित्त विभागीय पत्रांक—910/वि०, दिनांक—30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05 06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08, 2199/वि0, दिनांक—24.03.2017, 3758/वि0, दिनांक—31.05 2017 एव 12888/वि0, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11— इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13— प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या— 07/बजट—46—02/2022 के पृष्ठ 95/टि0 में प्राप्त है।

14— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरणी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–07 / बजट–46–02 / 2022 – 981(7A) / स्वा0, पटना, दिनांक– 07/ 08/ 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / जिला पदाधिकारी, सुपौल / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

7.8.26

सरकार के अपर सचिव।